[illegible] पत्रावली
बास्ते फैसला दि. 30.4.25 को पेश हो।

30.4.25 पत्रावली पेश। वकील वादी उप0। वाद, वादी स्वीकार किया जाता है, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा. पत्र. किया जाता। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद

प्रकरण संख्या : 89/2022

तारीख दायरा 10.10.2022

उनवान

1. उम्मेद सिंह पुत्र चतरसिंह उर्फ चतुर्भुज सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा

2. अनार कंवर पुत्री चतरसिंह उर्फ चतुर्भुज सिंह पत्नी बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी झालर बावडी पंचायत बाडोलिया तहसील रावतभाटा जिला चित्तोडगढ़ राजस्थान

3. भगवान कंवर पुत्री चतरसिंह उर्फ चतुर्भुज सिंह पत्नी तेजराज सिंह जाति राजपूत निवासी सुभाष कोलोनी बस स्टेण्ड झालावाड राजस्थान।

—वादीगण—

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

— प्रतिवादी—

वाद बाबत खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती अन्तर्गत धारा 88, 89 आर टी एक्ट

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है :—

- यह कि ग्राम उमरदा पटवार हल्का उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा मे खसरा न0 167 की 0.01 हेक्टर, खसरा न0 168 की 1.61 हेक्टर, खसरा न0 41 की 0.36 हेक्टर, खसरा न0 44 की 0.81 हेक्टर, खसरा न0 509 की 1.60 हेक्टर, खसरा न0 527 की 1.64 हेक्टर व खसरा न० 55 की 0.75 हेक्टर इस प्रकार कुल किता 7 की कुल 6.78 हेक्टर कृषि भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड मे वादीगण व उनके सगे भाई अर्जुन सिंह पुत्र चतरसिंह उर्फ चतुर्भुज सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम उमरदा तहसील सांगोद के नाम से दर्ज है, वादीगण के भाई अर्जुन सिंह का स्वर्गवास दिनांक 12.8.2007 को ग्राम उमरदा मे हो चुका है, वादीगण व उसके भाई अर्जुन सिंह को उक्त कृषि भूमियों उनके पिता चतरसिंह उर्फ चतुर्भुज सिंह के स्वर्गवास के उपरान्त प्राप्त हुई है।
- यह कि मृतक अर्जुन सिंह ने उसके जीवनकाल में हेमकंवर पिता रामसिंह से विवाह किया था, जिससे उसके एक पुत्र महेन्द्र सिंह उत्पन्न हुआ, अर्जुनसिंह की पत्नी हेमकंवर का स्वर्गवास भी दिनांक 28.5.2020 को हो चुका है. इसी प्रकार उसके पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

महेन्द्र सिंह का स्वर्गवास भी दिनांक 22.11.2016 को हो चुका है। वादीगण के भाई मृतक अर्जुनसिंह के परिवार मे उसकी पत्नी हेमकंवर व एक मात्र पुत्र महेन्द्र सिंह के स्वर्गवास के उपरान्त अन्य कोई विधिक उत्तराधिकारी नहीं रहा है, तथा वादीगण ही मृतक अर्जुनसिंह के रक्त सम्बन्धी होने की वजह से निकटतम वारिस है। जिन्हे मृतक अर्जुन सिंह के स्थान पर उक्त कृषि भूमियो मे अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकार है, उक्त कृषि भूमियों मौके पर वादीगण के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे चली आ रही है।

- यह कि यद्यपि वादीगण के भाई अर्जुनसिंह उसकी पत्नी हेमकंवर, पुत्र महेन्द्र सिंह का स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन राजस्व रेकार्ड मे मृतक अर्जुन सिंह का नाम चला आ रहा है, वादीगण ने हल्का पटवारी जी से मृतक अर्जुन सिंह का नामान्तरण वादीगण के नाम से दर्ज कराने की प्रार्थना की, तो उन्होने कहा, कि आपको इसके लिए एस डी ओ साहब के यहा दावा करके आदेश लाना पडेगा, उसी स्थिति में हम मृतक अर्जुन सिंह का नाम खाते से हटा कर आपका नाम दर्ज कर पायेंगे। हल्का पटवारी जी द्वारा दी गई सलाह के उपरान्त वादीगण ने कानूनी राय भी अधिवक्तागण से सम्पर्क कर ली, व अविलम्ब उक्त वाद प्रस्तुत कर रहे है, वादीगण का निवेदन है कि वादीगण को मृतक अर्जुनसिंह के स्थान पर खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरस्त किया जावे, यही इस वाद की विषय वस्तु है।
- यह कि वाद कारण दिनांक 10.3.2022 को उत्पन्न हुआ, जब वादीगण ने हल्का पटवारी जी से सम्पर्क कर मृतक अर्जुन सिंह का नाम खाते से हटाया जाकर वादीगण के नाम से नामान्तरण दर्ज किये जाने की प्रार्थना की, जिस पर उन्होने असमर्थता जाहिर की, व वादीगण को वाद प्रस्तुत करने की सलाह दी।
- यह कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण को ग्राम उमरदा पटवार हल्का उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा में खसरा न0 167 की 0.01 हेक्टर, खसरा न० 168 की 1.61 हेक्टर, खसरा न0 41 की 0.36 हेक्टर, खसरा न0 44 की 0.81 हेक्टर, खसरा न0 509 की 1.60 हेक्टर, खसरा न0 527 की 1.64 हेक्टर व खसरा न० 55 की 0.75 हेक्टर इस प्रकार कुल किता 7 की कुल 6.78 हेक्टर कृषि भूमि का खातेदार कृषक घोषित किये जाने का आदेश प्रदान करने का कष्ट करे, उक्त घोषणा के अनुक्रम में मृतक अर्जुन सिंह का नाम राजस्व खाते से हटाया जाकर इन्द्राज दुरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करे।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद।जला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में जवाब सरकार प्राप्त हुआ, जो शामिल पत्रावली किया गया।

अधिवक्ता वादीगण द्वारा PW1, श्री उम्मेद सिंह पुत्र चतरसिंह निवासी ग्राम उमरदा तह0 सांगोद जिला कोटा, PW2, श्री रामेश्वर पुत्र गोपाल निवासी ग्राम उमरदा तह0 सांगोद जिला कोटा, PW3 श्री हरदयाल पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम उमरदा तह0 सांगोद जिला कोटा, PW4, श्री छीतरलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम उमरदा तह0 सांगोद, PW 5, श्री श्यामविहारी पुत्र बद्रीलाल जाति किराड निवासी ग्राम उमरदा तह0 सांगोद, PW 6, श्री रामकल्याण पुत्र रघुनाथ जाति किराड निवासी ग्राम उमरदा तह0 सांगोद द्वारा साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किए गए, जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया।

जिरह के पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी सरकार पैरोकार अनुपस्थित। जिरह साक्ष्यवादी बंद की गई। पत्रावली में अंतिम बहस एकपक्षीय अभिभाषक वादीगण सुनी गई, जिसमें वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित किये गये कथनो को दोहराया गया :—

- यह कि ग्राम उमरदा पटवार हल्का उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा मे खसरा न0 167 की 0.01 हेक्टर, खसरा न0 168 की 1.61 हेक्टर, खसरा न0 41 की 0.36 हेक्टर, खसरा न0 44 की 0.81 हेक्टर, खसरा न0 509 की 1.60 हेक्टर, खसरा न0 527 की 1.64 हेक्टर व खसरा न० 55 की 0.75 हेक्टर इस प्रकार कुल किता 7 की कुल 6.78 हेक्टर कृषि भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड मे वादीगण व उनके सगे भाई अर्जुन सिंह पुत्र चतरसिंह उर्फ चतुर्भुज सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम उमरदा तहसील सांगोद के नाम से दर्ज है, वादीगण के भाई अर्जुन सिंह का स्वर्गवास दिनांक 12.8.2007 को ग्राम उमरदा मे हो चुका है, वादीगण व उसके भाई अर्जुन सिंह को उक्त कृषि भूमियों उनके पिता चतरसिंह उर्फ चतुर्भुज सिंह के स्वर्गवास के उपरान्त प्राप्त हुई है।

- यह कि मृतक अर्जुन सिंह ने उसके जीवनकाल में हेमकंवर पिता रामसिंह से विवाह किया था, जिससे उसके एक पुत्र महेन्द्र सिंह उत्पन्न हुआ, अर्जुनसिंह की पत्नी हॅमकबर का स्वर्गवास भी दिनांक 28.5.2020 को हो चुका है. इसी प्रकार उसके पुत्र महेन्द्र सिंह का स्वर्गवास भी दिनांक 22.11.2016 को हो चुका है। वादीगण के भाई मृतक अर्जुनसिंह के परिवार मे उसकी पत्नी हेमकंवर व एक मात्र पुत्र महेन्द्र सिंह के स्वर्गवास के उपरान्त अन्य कोई विधिक उत्तराधिकारी नहीं रहा है, तथा वादीगण ही मृतक अर्जुनसिंह के रक्त सम्बन्धी होने की वजह से निकटतम वारिस है। जिन्हे मृतक अर्जुन सिंह के स्थान पर उक्त कृषि भूमियो मे अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकार है,

उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

उक्त कृषि भूमियों मौके पर वादीगण के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे चली आ रही है।

- यह कि यद्यपि वादीगण के भाई अर्जुनसिंह उसकी पत्नी हेमकंवर, पुत्र महेन्द्र सिंह का स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन राजस्व रेकार्ड मे मृतक अर्जुन सिंह का नाम चला आ रहा है, वादीगण ने हल्का पटवारी जी से मृतक अर्जुन सिंह का नामान्तरण वादीगण के नाम से दर्ज कराने की प्रार्थना की, तो उन्होने कहा, कि आपको इसके लिए एस0डी0ओ साहब के यहा दावा करनके आदेश लाना पडेगा, उसी स्थिति में हम मृतक अर्जुन सिंह का नाम खाते से हटा कर आपका नाम दर्ज कर पायेंगे। हल्का पटवारी जी द्वारा दी गई सलाह के उपरान्त वादीगण ने कानूनी राय भी अधिवक्तागण से सम्पर्क कर ली व अविलम्ब उक्त वाद प्रस्तुत कर रहे है, वादीगण का निवेदन है कि वादीगण को मृतक अर्जुनसिंह के स्थान पर खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरस्त किया जावे, यही इस वाद की विषय वस्तु है।

- यह कि वाद कारण दिनांक 10.3.2022 को उत्पन्न हुआ, जब वादीगण ने हल्का पटवारी जी से सम्पर्क कर मृतक अर्जुन सिंह का नाम खाते से हटाया जाकर वादीगण के नाम से नामान्तरण दर्ज किये जाने की प्रार्थना की, जिस पर उन्होने असमर्थता जाहिर की, व वादीगण को वाद प्रस्तुत करने की सलाह दी।

- यह कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण को ग्राम उमरदा पटवार हल्का उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा में खसरा न0 167 की 0.01 हेक्टर, खसरा न० 168 की 1.61 हेक्टर, खसरा न0 41 की 0.36 हेक्टर, खसरा न0 44 की 0.81 हेक्टर, खसरा न0 509 की 1.60 हेक्टर, खसरा न0 527 की 1.64 हेक्टर व खसरा न० 55 की 0.75 हेक्टर इस प्रकार कुल किता 7 की कुल 6.78 हेक्टर कृषि भूमि का खातेदार कृषक घोषित किये जाने का आदेश प्रदान करने का कष्ट करे, उक्त घोषणा के अनुक्रम में मृतक अर्जुन सिंह का नाम राजस्व खाते से हटाया जाकर इन्द्राज दुरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करे।

हस्तगत प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया, वादीगण द्वारा जमाबंदी सम्वत् 2075–78, ग्राम उमरदा, पटवार हलका उमरदा, खाता संख्या 46 खसरा नं0 167 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 168 रकबा 1.61 है0, खसरा नं0 41 रकबा 0.36 हैं0, खसरा नं0 44 0.8 हैं0, खसरा नं0 509 रकबा 1.6 है0, ख0नं0

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद (अंता) कोटा

Scanned with OKEN Scanner

527 रकबा 1.6 है0, ख0नं0 55 रकबा 0.75 कुल किता 07 रकबा 6.75 है0 भूमि वादीगण के नाम अभिभाषक वादीगण द्वारा मृतक अर्जुन सिंह पुत्र चतरसिंह का ग्राम पंचायत खजिया द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिसान प्रमाण पत्र पेश किया गया, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक अर्जुन सिंह के वादी कम 01, 02 एवं 03 के अलावा कोई वारिसान नहीं है। वादीगण द्वारा PW 1, श्री उम्मेद सिंह पुत्र चतरसिंह निवासी ग्राम उमरदा तह0 सांगोद जिला कोटा, PW 2, श्री रामेश्वर पुत्र गोपाल निवासी ग्राम उमरदा तह0 सांगोद जिला कोटा, PW 3, श्री हरदयाल पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम उमरदा तह0 सांगोद जिला कोटा, PW 4, श्री छीतरलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम उमरदा तह0 सांगोद, PW 5, श्री श्यामबिहारी पुत्र बद्रीलाल जाति किराड निवासी ग्राम उमरदा तह0 सांगोद, PW 6, श्री रामकल्याण पुत्र रघुनाथ जाति किराड निवासी ग्राम उमरदा तह0 सांगोद द्वारा साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किए गए, जिसके अनुसार **"मृतक अर्जुन सिंह ने उसके जीवनकाल में हेमकंवर पिता रामसिंह से विवाह किया था, जिससे उसके एक पुत्र महेंद्र सिंह उत्पन्न हुआ, अर्जुन सिंह की पत्नी हेंमकंवर का स्वर्गवास हो चुका है, इसकी प्रकार उसके पुत्र महेंद्र सिंह का भी स्वर्गवास हो चुका है। इस प्रकार अर्जुन सिंह के परिवार में उसकी पत्नी हेंमकंवर व एक मां पुत्र महेन्द्र सिंह स्वर्गवास के उपरांत अन्य कोई वारिस नहीं रहा है"**

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार निर्वसीयती मृतक खातेदार के प्रथम श्रेणी के वारिसान मौजूद नहीं होने पर द्वितीय श्रेणी के वारिसान मृतक के उत्तराधिकारी के हक से संपत्ति पाने के हकदार माने गये है।

अतः न्यायालय को द्वितीय श्रेणी के वारिसान के उत्तराधिकारी को स्पष्ट किया जाना अतिआवश्यक है :–

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी :–

1. पिता
2. (1) बेटे की बेटी का बेटा, (2) बेटे की बेटी की बेटी, (3) भाई, (4) बहन
3. (1) बेटी के बेटे का बेटा, (2) बेटी के बेटे की बेटी, (3) बेटी की बेटी का बेटा, (4) बेटी की बेटी की बेटी।
4. (1) भाई का बेटा, (2) बहन का बेटा, (3) भाई की बेटी, (4) बहन की बेटी।
5. पिता का पिता; पिता की माता.
6. पिता की विधवा; भाई की विधवा.
7. पिता का भाई; पिता की बहन.

Scanned with OKEN Scanner

8. माँ का पिता, माँ की माँ
9. माँ का भाई, माँ की बहन.

वर्ग। के उत्तराधिकारियों को अन्य सभी उत्तराधिकारियों को अपवर्जित करते हुए एक साथ स्थान दिया जाएगा। वर्ग II की प्रथम प्रविष्टि के उत्तराधिकारियों को द्वितीय प्रविष्टि के उत्तराधिकारियों की अपेक्षा वरीयता दी जाएगी; द्वितीय प्रविष्टि के उत्तराधिकारियों को तृतीय प्रविष्टि के उत्तराधिकारियों की अपेक्षा वरीयता दी जाएगी; और इसी प्रकार क्रमिक रूप से आगे भी वरीयता कम इसी प्रकार चलेगा।

हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात् यथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी मृतक अर्जुन सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान प्रमाण पत्र व गवाहो के शपथ पत्र से यह प्रमाणित होता है कि वादीगण ही मृतक के एकमात्र द्वितीय श्रेणी के वारिसान है तथा मृतक के हिस्से की आराजीयात के उत्तराधिकारी भी है।

—: आदेश :—

उपरोक्तानुसार बहस अंतिम के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का उनके गुणावगुण के आधार पर गहन अध्ययन, अवलोकन व मनन उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि :—

वादीगण वाद सिद्ध कर पाने में सफल रहने पर वाद वादीगण स्वीकार करने के आदेश प्रदान किए जाते है तथा जमाबंदी सम्वत् 2075—78, ग्राम उमरदा, पटवार हलका उमरदा, खाता संख्या 46 खसरा नं0 167 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 168 रकबा 1.61 है0, खसरा नं0 41 रकबा 0.36 हैं0, खसरा नं0 44 0.8 हैं0, खसरा नं0 509 रकबा 1.6 है0, ख0नं0 527 रकबा 1.6 है0, ख0नं0 55 रकबा 0.75 कुल किता 07 रकबा 6.7 है0 भूमि में मृतक अर्जुन सिंह के नाम दर्ज 1/4 हिस्से आराजी में वादी कम 01, 02 एवं 03 को बराबर—बराबर हिस्से का खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जाते है।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 30.4.2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Scanned with OKEN Scanner